


पत्रावली आज पेश हुई।

वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। आज अदालत समय में रूक-रूक कर तीन बार बार आवाजे दिलवाये जाने के बावजूद वादी एवं उनके वकील में से कोई उपस्थित नहीं हुए।

अदालत उठने से पूर्व एक बार पुनः आवाज लगाई गई। फिर भी इनमें से कोई हाजिर नहीं हुए। इससे जाहीर होता है कि वादी एवं उनके वकील इस प्रकरण में कोई रूची नहीं ले रहे हैं।

अतः वादी का राजस्व वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 2 व आदेश 9 नियम 3 सीपीसी के तहत अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

